Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में डिस्कॉम के वरिष्ठ सहायक एवं तकनीकी सहायक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक लीगल सेक्शन एवं चन्दन कुमार तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय (फीडर इन्चार्ज मिडवे–प्रथम बहरोड़) कार्यालय सहायक अभियंता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम बहरोड़, जिला अलवर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि घरेलु विद्युत कनेक्शन के अधिक राशि के बिल को दुरूस्त करने तथा मीटर को बदलने की एवज में देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक लीगल सेक्शन एवं चन्दन कुमार तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय (फीडर इन्चार्ज मिडवे–प्रथम बहरोड़) कार्यालय सहायक अभियंता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम बहरोड़, जिला अलवर द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी अलवर प्रथम, अलवर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी कांकर दोपा, तहसील व थाना बहरोड़, जिला अलवर हाल निवासी जीतराम नगर, बहरोड़ अलवर हाल वरिष्ठ सहायक लीगल सेक्शन कार्यालय सहायक अभियंता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम बहरोड़, जिला अलवर को परिवादी से **20 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी चन्दन कुमार पुत्र श्री नत्थूराम निवासी नाहरावाली, तहसील व थाना अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर हाल तकनीकी सहायक ग्रेड–द्वितीय (फीडर इन्चार्ज मिडवे–प्रथम बहरोड़) कार्यालय सहायक अभियंता, (पवस) जयपुर डिस्कॉम बहरोड़, जिला अलवर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।